Print

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय,म.प्र.
(1250, तुलसी नगर, भोपाल-462003)
दूरभाष-कार्या. 2556916, फैक्स-2552665
(ई-मेल: dir.socialjustice@mp.gov.in)
http://sparsh.mp.gov.in/NGOManagement/

क्रमांक/1198 /निःशक्तजन कल्याण /वि.मा./ ..2021/ 3785 भोपाल,दिनांक 22/11/21

अशासकीय संस्था (NGO) के लिये नवीन विभागीय मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण हेतु ओदश

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव
अनुभूति विज़न सेवा संस्थान
FH 353 SCH NO 54 INDORE
जिला :- **इन्दौर**

विषयः- अशासकीय संस्था **अनुभूति विज़न सेवा संस्थान** , एन.जी.ओ.(NGO) कोड **NGO1003372** को **निःशक्तजन कल्याण** के क्षेत्र में कार्य करने हेतु **10** वर्ष के लिए विभागीय मान्यता प्रदान की जाती है।

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला **इन्दौर** से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव एवं कलेक्टर जिला **इन्दौर** की अनुशंसा के आधार पर अशासकीय संस्था " **अनुभूति विज़न सेवा संस्थान** , एन.जी.ओ.(NGO) कोड **NGO1003372** " जिला **इन्दौर निःशक्तजन कल्याण** के क्षेत्र में **10** वर्ष के लिये विभागीय मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती हैः-

विभागीय मान्यता की शर्ते

1. संस्था निश्चित प्रयोजन के लिये जाति, वर्ण, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से परे रहकर निःस्वार्थ सेवा करेगी ।
2. संस्था शासन/संचालनालय तथा विभागीय अधिकारियों के आदेशो, निर्देशो का तत्परता पूर्वक पालन करेगी ।
3. संस्था नियमानुसार निर्दिष्ट समस्त आवश्यक अभिलेख रखेगी एवं जानकारी प्रस्तुत करेंगी।
4. संस्था जनहित, राष्ट्रहित एवं शासन के हितो के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेगी ।
5. संस्था शैक्षणिक गतिविधियों- दिव्यांगजन/नशामुक्ति/वृद्धजन के कल्याण एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य रूप से कर जनजागरण करेगी ।
6. संस्था को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा संस्था द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की योजनाओं के कार्यकलापों पर किये गये कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण इन्दौर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. संस्था को दी गई मान्यता, अनुदान के लिये बाध्यता नहीं है ।
8. विभागीय अनुदान हेतु आवेदन किये जाने हेतु अनुदान नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा ।
9. संस्था द्वारा अनुदान का दुरूपयोग या वित्तीय अनियमितता करने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने के साथ ही वसूली योग्य

राशि के लिये संस्था की सम्पत्ति राजसात की जा सकेगी ।

10. यदि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं पाई गई एवं संस्था के कार्यकलाप नियमो के विपरीत पाये गये तो मान्यता तत्काल वापस ली जावेगी ।
11. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियो को प्रदर्शित करने एवं अद्यतन सेवाओं/ सुविधाओं के उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी अपनी स्वयं की वैबसाईट्स पर सदैव उपलब्ध करानी होगी।
12. संस्था के कार्यकलापों पर कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला इन्दौर मध्यप्रदेश का प्रशासकीय नियंत्रण होगा तथा संस्था को मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान किया जायेगा ।
13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना आयोग प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक 1-1/सूआप्र/ 08/ 1-9 दिनांक 6/3/2009 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी ।

अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करने की बाध्यता होगी

संयुक्त/उप संचालक
वास्ते संचालक
22/11/2021
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ. क्रमांक/1198 /निःशक्तजन कल्याण /वि.मा./ 2021/3786 भोपाल,दिनांक 22/11/21

प्रतिलिपिः-

1- कलेक्टर, जिला .**इन्दौर** . की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2- संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला .**इन्दौर** . की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त/उप संचालक
वास्ते संचालक
22/11/2021
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.